

**फॉर्म एनएल-18-प्रावधान अनुसूची  
प्रावधान**

	विवरण	30 सितंबर 2017 तक (₹ '000)	30 सितंबर 2016 तक (₹ '000)
1	अनपेक्षित जोखिम के लिए रिजर्व	429,95,84.60	424,14,92.43
2	प्रीमियम की कमी के लिए रिजर्व	74,03,45.36	51,28,51.95
3	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए रिजर्व	2,44,24.00	2,44,24.00
4	कराधान के लिए - आयकर (अग्रिम कर का शुद्ध)	-	-
5	प्रस्तावित लाभंशों के लिए	-	-
6	लाभंश वितरण कर के लिए	-	-
7	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए - छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा - ग्रेच्युटी - पेंशन	44,90,43.87 11,65,41.32 16,00,00.00	41,75,78.24 8,87,95.86 12,00,00.00
8	कम कारोबार के शेरों के लिए	-	-
	<b>कुल</b>	<b>578,99,39.15</b>	<b>540,51,42.48</b>

<https://www.ecgc.in>